*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/नि०प्रति० का भत्ता –03–01/2024 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः– विभागीय संकल्प सं०– 2523, दिनांक– 19.05.2015 के आलोक में नगर परिषद, मधेपुरा के सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को जून, 2021 से मई, 2022 एवं जून, 2022 से मई, 2023 तक की अवधि का बकाये प्रतिमाह नियत भत्ता के भुगतान हेतु अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राशि ₹12.96 लाख (बारह लाख छियानवे हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०–2523, दिनांक–19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर परिषदों के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता में वृद्धि की गयी है। इस संबंध में पूर्व के संकल्प सं०–3217, दिनांक–20.06.2008, संकल्प सं०–2752, दिनांक–14.11.2013 एवं संकल्प सं०–2373, दिनांक–08.08.2014 को विलोपित कर दिया गया है। पुनरीक्षित निर्धारित दर के अनुसार नगर परिषद, मधेपुरा के सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को जून, 2021 से मई, 2022 एवं जून, 2022 से मई, 2023 तक की अवधि का बकाये प्रतिमाह नियत भत्ता के भुगतान हेतु अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राशि ₹12.96 लाख (बारह लाख छियानवे हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	पी०एल० खाता	HOA संख्या	वित्तीय वर्ष, 2025–26 में स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर परिषद, मधेपुरा	MDPPLA006	00-8448-00-102-0002-00-01	12.96
			योग	**12.96**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹12.96 लाख (बारह लाख छियानवे हजार रू०) मात्र।

2. कुल स्वीकृत राशि **₹12.96 लाख (बारह लाख छियानवे हजार रू०) मात्र** के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे।** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–227 दिनांक–28.03.2025 एवं पत्रांक–950 दिनांक–12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर परिषदों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹12.96 लाख (बारह लाख छियानवे हजार रू०) मात्र निकासी मांग संख्या–48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–192–नगरपालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष–0102–नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड–48-2217031920102, विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी।

7. Online राशि की प्राप्ति के उपरांत संबंधित नगर निकायों के नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने नगर निकाय के निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों को विभागीय संकल्प सं०–2523, दिनांक–19.05.2015 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक माह अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496, दिनांक–22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि बकाया रहने के संबंध में स्पष्ट रूप से संतुष्ट होने के बाद ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को राशि का भुगतान किया जायेगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–2ब०/नि०प्रति० का भत्ता–03–01/2024 के पृष्ठ सं०–73/टि० पर दिनांक–10.02.2024 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ सं०–74/टि० पर दिनांक–11.02.2024 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/नि०प्रति० का भत्ता–03–01/2024 491 /न०वि०एवंआ०वि/पटना, दिनांक–12/2/26

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव।